हिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभाग

संख्याःएएचवाईःएफ(4)4/2005-**लूज** तारीख शिमला-2 30-12-2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पशुपालन-क-(3)-1/79 तारीख 18.9.1980 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 28.3.1981 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) नियम, 2010 है।

नियम 7-क का अन्तःस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध, नियम, 1980 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम, 7, के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"7-क.गो निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्रः-

(1) अधिनियम की धारा 4 ख की उप-धारा(2) के अधीन गो निर्यात हेतु अनुज्ञा-पत्र प्ररूप 'ङ ङ' में जारी किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 4 ग के अधीन गो निर्यात हेतु विशेष अनुज्ञा-पत्र प्ररूप 'ङ ङ ङ' में जारी किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 4 ख की उप-धारा (2) और धारा 4 ग के अधीन, गाय/ बछड़ी/ सांड़/ बैल/ नर बछड़े के मामले में अनुज्ञा-पत्र

जारी करने हेतु फीस पचास ₹ प्रति पशु तथापि, जन हित में, जैसे कि अन्य राज्यों के गोसदनों में गायों के ले जाने हेतु विशेष अनुज्ञा पत्र जारी करने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को फीस में छूट देने की शक्ति होगी।

प्ररूप 'ङ ङ' और 'ङ ङ ङ' का जोड़ा जाना।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप 'ङ' के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 'ङ ङ' और 'ङ ङ ङ' जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप ङ ङ"

{नियम 7 क देखें}

बुक संख्या-------------------------------------

कमांक---

श्री/श्रीमती-----------------सपुत्र/ सपुत्री श्री-------- निवासी/ मालिक को------------------हिमाचल प्रदेश राज्य से --------------------------(जगह, स्थान/ राज्य) को गाय (जिनका विवरण नीचे दिया गया है)------------------- (प्रयोजन)हेतु निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गायों का विवरण:-

(1) गायों की संख्या
(2) लिंग
(3) दुधारू गायों की संख्या
(4) दूध न देने वाली गायों की संख्या
(5) पहचान चिन्ह/ रजिस्ट्रीकरण संख्या/ गोदन संख्या
(6) आयु

यह अनुज्ञा-पत्र इसके जारी होने की तारीख से केवल साठ दिन तक मान्य है।

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर।

प्ररूप ङ ङ ङ"

(नियम 7 क (2) देखें)

बुक संख्या------------------------------------

कमांक---

श्री/श्रीमती----------------सपुत्र/सपुत्री श्री----------------
निवासी/ मालिक को------------------हिमाचल प्रदेश से
--------------------------(जगह/राज्य) को गाय (जिनका
विवरण नीचे दिया गया है)------------------ (प्रयोजन) हेतु
निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गायों का विवरणः-

1. गायों की संख्या
2. लिंग
3. दुधारू गायों की संख्या
4. दूध न देने वाली गायों की संख्या
5. पहचान चिन्ह/ पंजीकरण संख्या/गोदन संख्या
6. आयु

यह अनुज्ञा-पत्र इसके जारी होने की तारीख से केवल साठ दिन तक मान्य है"।

हस्ताक्षर

विशेष अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले
प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर।